

कारपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पेंशन पुनरीक्षण विवरण

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
1	श्री रामफरे यादव	अवर अभियन्ता	सोनमद्र	1823	18.02.19
2	श्री मनदीप सिंह	अवर अभियन्ता	सोनमद्र	1824	18.02.19
3	श्रीमती लालमुनी राय पत्नी स्व० गोपी शंकर राय	अवर अभियन्ता	सोनमद्र	1794	16.02.19
4	श्री राम कृष्ण तिवारी	आशुलिपिक	लखनऊ	227	07.01.19
5	श्रीमती इन्दिश पत्नी स्व० लापता राम	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1220	31.01.19
6	श्री पारस नाथ	अवर अभियन्ता	लखनऊ	342	10.01.19
7	श्रीकृष्ण माथुर	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1031	25.01.19
8	श्रीमती मीरा सिन्हा पत्नी स्व० अरूण कुमार सिन्हा	एस०एन०डी०	लखनऊ	1793	16.02.19
9	श्री जैनुल आबदीन	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1267	31.01.19
10	श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० जय राम गुप्ता	अवर अभियन्ता	रायबरेली	2266	23.02.19
11	श्री सुरेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता	वाराणसी	2011	22.02.19
12	श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० महेन्द्र पाल वार्ष्णेय	अवर अभियन्ता	बिजनौर	2015	22.02.19
13	श्री सोनपाल सिंह वर्मा	अवर अभियन्ता	कासगंज	2022	22.02.19
14	श्री उमेश चन्द्र शर्मा	अवर अभियन्ता	बरेली	2013	22.02.19
15	श्री जोखन प्रसाद	अवर अभियन्ता	संतकबीरनगर	2017	22.02.19
16	श्री विष्णु कुमार	अवर अभियन्ता	लखीमपुर-खीरी	2233	27.02.19
17	श्री जाहिद अली खान	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	2230	27.02.19
18	श्री विक्रम सिंह राजौरा	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	2229	27.02.19
19	श्री संगम लाल मिश्रा	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	2228	27.02.19
20	श्री सेरेन्द्र नाथ पाठक	अवर अभियन्ता	बाराबंकी	2227	27.02.19
21	श्री काजी अजहर उद्दीन सिद्दीकी	अवर अभियन्ता	आगरा	2226	27.02.19
22	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	2231	27.02.19
23	श्री नथन सिंह	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	2232	27.02.19
24	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	अवर अभियन्ता	बरेली	2234	27.02.19
25	श्री जमील अहमद खान	अवर अभियन्ता	बरेली	2012	22.02.19
26	श्री शिव प्रकाश	अवर अभियन्ता	वाराणसी	2009	22.02.19
27	श्रीमती सुबोधनी शर्मा पत्नी स्व० बाचस्पति शर्मा	अवर अभियन्ता	बिजनौर	2014	22.02.19
28	श्रीमती सोमा वल्ली राजन पत्नी स्व० ओ० राजन	अवर अभियन्ता	झांसी	2037	23.02.19
29	श्रीमती मीरा पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता	झांसी	2040	23.02.19
30	श्री खलील अहमद	अवर अभियन्ता	शाहजहाँपुर	2043	23.02.19
31	श्री श्याम सुन्दर मिश्रा	अवर अभियन्ता	बलरामपुर	2045	23.02.19
32	श्री घनश्याम पाण्डेय	अवर अभियन्ता	बलरामपुर	2031	23.02.19
33	श्री राज कुमार सिन्हा	अवर अभियन्ता	झांसी	2030	23.02.19
34	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	बलरामपुर	2050	23.02.19
35	श्री भागीरथ साहू	अवर अभियन्ता	झांसी	2054	23.02.19
36	श्री जितेन्द्र बाबू सक्सेना	अवर अभियन्ता	बरेली	2032	23.02.19
37	श्री राम राज कुम्हार	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	2033	23.02.19
38	श्री हरि भगवान शात्या	अवर अभियन्ता	लखनऊ	2034	23.02.19
39	श्रीमती कुसुम देवी पत्नी स्व० श्याम नारायण पाण्डेय	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1911	20.02.19
40	श्रीमती मुनिया निगम पत्नी स्व० शिव कुमार निगम	तकनीकी सहायक	कानपुर	1941	20.02.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
41	श्री जगदीश कुमार जुनेजा	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1940	20.02.19
42	श्री तकी जाफर	अवर अभियन्ता	सुल्तानपुर	1883	18.02.19
43	श्री शाहबुद्दीन खान	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1890	20.02.19
44	श्रीमती शशि अग्रवाल पत्नी स्व० ओम कुमार अग्रवाल	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1884	18.02.19
45	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० शम्भु नरायन तिवारी	अवर अभियन्ता	मिर्जापुर	1887	18.02.19
46	श्री राम वृक्ष राम	अवर अभियन्ता	वाराणसी	1923	20.02.19
47	श्री वीरेन्द्र सिंह मलिक	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1922	20.02.19
48	श्री मुबीनुल हक मलिक	अवर अभियन्ता	बरेली	1924	20.02.19
49	श्री उमर फारूक	अवर अभियन्ता	रामपुर	1985	21.02.19
50	श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1984	21.02.19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1823/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2102/04-05

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सोनभद्र।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रामफेर यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रामफेर यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 2169 दिनांक 27.04.2005
(ग) जन्मतिथि : 21.10.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती चन्द्रमाली देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.10.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 8550-13500
(घ) वेतन : 10750 + 5375 = 16125/-
(ङ) मूल पेंशन : 8063/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2150/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 5913/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3225/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स : 09
(ख) निर्धारित वेतन : 67200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 2150/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 31450/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1823/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2102/04-05 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, जल विद्युत सयंत्र खण्ड, ओबरा, सोनभद्र।
- श्री रामफेर यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-7-सी-143, ओबरा कालोनी, ओबरा, सोनभद्र।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(लेखाधिकारी पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1824/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1692/04-05

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सोनमद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मनदीप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मनदीप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1763 दिनांक 01.05.2004
(ग) जन्मतिथि	:	07.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती दमयन्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	8550-13500
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5403/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2161/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3242/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3308/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2161/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31439/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1824/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1692/04-05 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, जल वित्त संयंत्र खण्ड, ओबरा, सोनमद।
- श्री मनदीप सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-या० व पो०-मगरदह, 3.111-44, ओबरा, सोनमद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1794 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 702 / 98-99

दिनांक: 16.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
सोनभद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती लालमुनि राय पत्नी स्व० गोपी शंकर राय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती लालमुनि राय पत्नी स्व० गोपी शंकर राय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	823 दिनांक 27.11.1998
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती लालमुनि राय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.01.1947
2.

(क) मृत्यु तिथि	:	21.10.1984
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	2600-4000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	2600-4000
(घ) वेतन	:	2750 + 302 = 3052/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2154/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	59700/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	17910/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1794 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 702 / 98-99

दिनांक: 16.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्री वित्त लेखा एवं बजट संगठन, अनपरा, सोनभद्र।
3. श्रीमती लालमुनि राय पत्नी स्व० गोपी शंकर राय, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-फ्लैट नं०-07, शपिंग से०, अनपरा तुतीय परियोजना, अनपरा, सोनभद्र।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 227 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2062 / 04-05

दिनांक: 07.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम कृष्ण तिवारी, सेवानिवृत्त अशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम कृष्ण तिवारी, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 2180 दिनांक 04.05.2005
(ग) जन्मतिथि : 21.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती किरन लता तिवारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 02.03.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : पौद्य वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रैंड पे) : 10650-15200
(घ) वेतन : 14225 + 7113 = 21338 /-
(ङ) मूल पेंशन : 10496 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3300 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 7196 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 10496 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6401 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स : 11
(ख) निर्धारित वेतन : 85800 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 42900 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 33850 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 42900 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 3300 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 39600 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 42900 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 25740 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 227 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2062 / 04-05 दिनांक: 07.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री राम कृष्ण तिवारी, से०नि० आशुलिपिक, निवासी-ग्राम व पोस्ट हन्डीर, जिला- प्रतापगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1220/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/391/96-97

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती इन्दिरा पत्नी लापता राम आशीष वर्मा, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती इन्दिरा पत्नी लापता राम आशीष वर्मा, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	500 दिनांक 11.09.1996
(ग) जन्मतिथि	:	01.03.1960
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इन्दिरा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	23.02.1961
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 27.08.1992 (लापता) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 1850-2930 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 1850-2930 |
| (घ) वेतन | : | 1900 + 209 = 2109/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 450/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 10 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	6(बी)
(ख) निर्धारित वेतन	:	41400/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	12420/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1220/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/391/96-97 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत जल संयंत्र खण्ड, उ०प्र० उत्पादन निगम, लि०, ओबरा।
- श्रीमती इन्दिरा पत्नी लापता राम आशीष वर्मा, अवर अभियन्ता, निवासी-2/3, हाइडिल, कालोनी, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
(दीप लाल कोषाधिकारी)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उत्तर प्रदेश मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 342/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5186/13-14

दिनांक: 10.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री पारस नाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री पारस नाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 4915 दिनांक 24.06.2013
(ग) जन्मतिथि : 03.02.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती मीरा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 01.01.1957
- (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 28.02.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन : 67940/-
(ङ) मूल पेंशन : 33970/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 13588/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 20382/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 33970/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 20382/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिशेन्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स : 13
(ख) निर्धारित वेतन : 176200/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 88100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 88100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 13588/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये : 74512/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 88100/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 52860/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 342/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5186/13-14 दिनांक: 10.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- अधिसासी अभियन्ता, वेब. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री पारस नाथ, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-जय राज पूरी, हाईड्रिल कालोनी, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1031/मु०अमि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5185/13-14

दिनांक: 25.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्रीकृष्ण माथुर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्रीकृष्ण माथुर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 4923 दिनांक 29.06.2013
(ग) जन्मतिथि : 15.10.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती नीरू माथुर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 14.03.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.10.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन : 33770/-
(ङ) मूल पेंशन : 16885/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6754/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10131/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 16885/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10131/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पैमेटिक्स : 09
(ख) निर्धारित वेतन : 87700/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 6754/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिखा जाये : 37096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 43850/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1031/मु०अमि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5185/13-14 दिनांक: 25.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, हरदोई को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. श्री श्रीकृष्ण माथुर, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-307, कमला निवास, राजेन्द्र नगर, इलाहाबाद, बैंक के सामने, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

(विषय कक्ष कार्यालय)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1793/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/349/96-97

दिनांक: 16.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार,

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मीरा सिन्हा पत्नी स्व० अरुण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त एस०एन०डी० की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मीरा सिन्हा पत्नी स्व० अरुण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त एस०एन०डी० की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	452 दिनांक 26.04.1996
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीरा सिन्हा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	19.07.1955
(क) मृत्यु तिथि	:	28.03.1995
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	1650-2690
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	1650-2690
(घ) वेतन	:	1650 + 182 = 1832/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिफूत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	450/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	6 ए
(ख) निर्धारित वेतन	:	37900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिफूत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	11370/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1793/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/349/96-97

दिनांक: 16.02.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्रीमती मीरा सिन्हा पत्नी स्व० अरुण कुमार सिन्हा, सं०नि० एस०एन०डी०, निवासी-31, बसन्त, इन्कलव, सूर्या सिटी, से०-11, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(दीर्घाधिकारी पेंशन (हाइडिल))

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1267 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1700 / 04-05

दिनांक: 31.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आशर्द कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जैनुल आबदीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जैनुल आबदीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1787 दिनांक 17.05.2004
(ग) जन्मतिथि	:	25.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रमीमुन निशा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9697/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2683/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7014/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2683/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64760/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1267 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1700 / 04-05 दिनांक: 31.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, गोण्डा को सेवापुरिस्तका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्री जैनुल आबदीन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-पैडी, पो०-उसरा सहीद, जिला-बस्ती।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(दीप चन्द्र काश्यप)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ


पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2052/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2266/05-06

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व० श्री जय राम गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० श्री जय राम गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2488 दिनांक 05.10.2005
(ग) जन्मतिथि	:	09.04.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुमित्रा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 14.11.2000 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000/- |
| (घ) वेतन | : | 18200/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5460/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | लागू नहीं |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2052/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2266/07-06

दिनांक: 23.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
- श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व० श्री जय राम गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, निवासी-ग०न०-26,आर०डी०ए० विस्तार इन्दिरा नगर कालोनी रायबरेली
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2011/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4085/07-08

दिनांक: 22.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सुरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सुरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 3429 दिनांक 14.11.2007
(ग) जन्मतिथि : 15.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती शान्ती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 20.06.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 16400-20000
(घ) वेतन : 20000 + 10000 = 30000/-
(ङ) मूल पेंशन : 15000/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 4501/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10499/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स : 13
(ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 4501/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 65049/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2011/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4085/07-08 दिनांक: 22.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्र०-हिम्मा, पो०-दाउदपुर ज०-गज्जीपुर
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2015/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/568/97-98

दिनांक: 22.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

बिजनौर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० महेन्द्र पाल वाष्णीय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० महेन्द्र पाल वाष्णीय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	654 दिनांक 08.10.1997
(ग) जन्मतिथि	:	24.07.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शान्ती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	31.07.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5460/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2015/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/568/97-98

दिनांक: 22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बिजनौर। को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बिजनौर।
4. श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० महेन्द्र पाल वाष्णीय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-37 गोविन्द नगर सिविल लाईन बिजनौर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-


लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2022/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1431/03-04

दिनांक: 22.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कासगंज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सोनपाल सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सोनपाल सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1602 दिनांक 19.01.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती चन्द्रवती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8853/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2513/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6340/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5325/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2513/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64987/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2022/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1431/03-04 दिनांक: 22.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कासगंज, एटा को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्री सोनपाल सिंह वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-निकट-एस०डी०.एम० कालोनी, नदरई गेट, कासगंज, एटा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2013/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4799/11-12

दिनांक: 22.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री उमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री उमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4514 दिनांक 13.09.2011
(ग) जन्मतिथि	:	23.12.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गायत्री देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2010
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेडपे 5400
 (घ) वेतन : 25260 + 5400 = 30660/-
 (ङ) मूल पेंशन : 15330/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6012/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 9318/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9198/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 80200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 40100/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 40100/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6012/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 34088/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 24060/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2013/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4799/11-12 दिनांक: 22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
3. श्री उमेश चन्द्र शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी--गायत्रीपुरम प्रगति बिहार, चन्दाँसी-244412.
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2017/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6503/15-16

दिनांक: 22.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
संतकबीरनगर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जोखन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जोखन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5565 दिनांक 07.05.2016
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती चन्द्रावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.06.2012 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 26780 + 6600 = 33380/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 16690/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6556/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9834/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9834/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6556/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37294/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2017/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6503/15-16 दिनांक: 22.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, खलीलाबाद।
- श्री जोखन प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गो०-वगहिया, पो०-खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-


लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2233/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5076/12-13

दिनांक: 27.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,
लखीमपुर खीरी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विष्णु कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विष्णु कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिर्वर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4808 दिनांक 11.02.2013
(ग) जन्मतिथि	:	03.09.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अर्चना श्रीवारत्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेडपे 5400
(घ) वेतन	:	25520+5400=30970/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15485/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6194/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9291/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9291/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6194/-

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

गवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2233/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5076/12-13 दिनांक: 27.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम लखीमपुर-खीरी।
3. श्री विष्णु कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, 292, काशीनगर लखीमपुर खीरी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

(Handwritten Signature)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2230/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4343/09-10

दिनांक: 27.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जाहिद अली खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जाहिद अली खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3952 दिनांक 14.07.2009
(ग) जन्मतिथि	:	14.12.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती निगार खान
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	51440+8900=60340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	30170/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	9730/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	20440/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	18102/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को

संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो युका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	68570/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2230/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4343/09-10 दिनांक: 27.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री जाहिद अली खान, से०नि० अवर अभियन्ता, आर-14/124 राजनगर गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2229/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2520/06-07

दिनांक: 27.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री विक्रम सिंह राजौरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री विक्रम सिंह राजौरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2218 दिनांक 19.04.2006
(ग) जन्मतिथि	:	14.03.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राज रानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9849/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2712/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7173/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2712/-

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2229/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2520/06-07 दिनांक: 27.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड--प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री विक्रम सिंह राजौरा, सं०१० अवर अभियन्ता, 142/7 शारत्री नगर, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत


लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2228/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6511/15-16

दिनांक: 27.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री संगम लाल मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री संगम लाल मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5576 दिनांक 11.05.2016
(ग) जन्मतिथि	:	16.08.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती श्यामा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	29900+6600=36500/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18250/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18250/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10950/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7300/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40600/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47900/- दि० 16.08.19 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुगति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2228/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6511/15-16 दिनांक: 27.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. श्री संगम लाल मिश्रा, सं०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-राम गरीब पंडित का पूरा, पी०-ऊचडीह, इलाहाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2227 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5114 / 13-14
मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

दिनांक: 27.02.2019

पंजीकृत

जिला कोषागार,
बाराबंकी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4846 दिनांक 06.04.2013
(ग) जन्मतिथि	:	10.01.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती श्यामा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	26540+6600=33140/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16570/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6628/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9942/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9942/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगन्ध होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6628/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2227 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5114 / 13-14 दिनांक: 27.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी।
3. श्री सुरेन्द्र नाथ पाठक, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-मझौला, टिकैत नगर, बाराबंकी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--
पंजीकृत--

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या:2226 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4903 / 12-13

दिनांक: 27.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

आगरा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री काजी अजहर उद्दीन हसन सिद्दीकी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री काजी अजहर उद्दीन सिद्दीकी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4622 दिनांक 27.04.2012
(ग) जन्मतिथि	:	11.08.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नफीस फातमा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	53260+8900=62160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	31080/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	12432/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	18648/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	18648/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	12432/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाये	:	68218/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2226 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4903 / 12-13 दिनांक: 27.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम आगरा।
3. श्री काजी अजहर उद्दीन हसन सिद्दीकी, से०नि० अवर अभियन्ता, 57/01 आर०के० पुरम, ताज नगरी आगरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या:2231 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6764 / 17-18

दिनांक: 27.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

प्रयागराज।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 5982 दिनांक 30.01.2018
(ग) जन्मतिथि : 16.02.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती सोनी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 28.02.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन : 28190+6600=34790/-
(ङ) मूल पेंशन : 17395/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6958/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10437/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : 17395/-दि० 15.02.2021 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10437/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स : 09
(ख) निर्धारित वेतन : 90300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 6958/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाये : 38192/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : 45150/- दि० 15.02.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2231 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6764 / 17-18 दिनांक: 27.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम प्रयागराज।
3. श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, धमसेड़ा-चरवा, कौशाम्बी-212203।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी, पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2232 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 7030 / 18-19

दिनांक: 27.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

प्रयागराज।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री नथन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री नथन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षला
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	6096 दिनांक 21.08.2018
(ग) जन्मतिथि	:	10.08.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुबेला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	26560+6600=33160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16580/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6632/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9948/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16580/-दि० 09.08.2021 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9948/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंडेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6632/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37218/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/- दि० 09.08.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2232 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 7030 / 18-19 दिनांक: 27.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम इलाहाबाद।
3. श्री नथन सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-सयांरा भीडेपुर, जनपद-कौसाम्बी(उ०प्र०)।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या:2234/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6596/16-17

दिनांक: 27.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,
बरेली।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	583 दिनांक 12.10.2001
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ओमवती शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	19100/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9370/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2403/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6967/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5730/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2403/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65097/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2234/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/554/01-02 दिनांक: 27.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बरेली।
3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, 81 आलम गिरिगंज पथवारी मंदिर बरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी, पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

दिनांक: 27.02.19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2012/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6241/14-15

दिनांक: 22.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जमील अहमद खॉन सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जमील अहमद खॉन सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5273 दिनांक 27.12.2014
(ग) जन्मतिथि	:	07.08.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रेहाना बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 18650/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 9325/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9325/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5595/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67500/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2012/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6241/14-15 दिनांक: 22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
- श्री जमील अहमद खॉन सं० 010 अवर अभियन्ता, निवासी-150, नवादा शेखान सतीपुर रोड, पुराना शहर, बरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2009/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6969/18-19

दिनांक: 22.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री शिव प्रकाश, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री शिव प्रकाश, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	6044 दिनांक 10.05.2018
(ग) जन्मतिथि	:	04.06.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती किरन बाला श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	17.01.1957
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	27790 + 6600 = 34390/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17195/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6878/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10317/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17195/- दिनांक 03.06.2020 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10317/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6878/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38272/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150/- दिनांक 03.06.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2009/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6969/18-19 दिनांक: 22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्री शिव प्रकाश, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-71-बी, अशोक नगर कालोनी पंचकोशी, रोड, पाण्डेयपुर, वाराणसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी-पेंशन, (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2014 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4770 / 11-12

दिनांक: 22.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बिजनौर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती सुबोधनी शर्मा पत्नी स्व० बाचस्पति शर्मा, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती सुबोधनी शर्मा, पत्नी स्व० बाचस्पति शर्मा, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4490 दिनांक 18.08.2011
(ग) जन्मतिथि	:	11.11.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुबोधनी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 21.02.2007 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छँठवा वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 46310+8900 =ग्रे०पे० 55210/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 27605/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 16563/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | लागू नहीं |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	71650/- दि० 21.02.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/- दि० 22.02.2017 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2014 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4770 / 11-12 दिनांक: 22.02.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बिजनौर को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।
- श्रीमती सुबोधनी शर्मा पत्नी स्व० बाचस्पति शर्मा, अवर अभियन्ता, निवासी-जी०-०६, गीता नगरी, बिजनौर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2037 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 594 / 97-98

दिनांक: 23.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झाँसी।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सोमा वल्ली राजन पत्नी स्व० ओ० राजन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सोमा वल्ली राजन पत्नी स्व० ओ० राजन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	685 दिनांक 24.12.1997
(ग) जन्मतिथि	:	20.03.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सोमावल्ली राजन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.12.1952
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.03.1997 / 30.10.2013 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 17750/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7262/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2168/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 5094/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5325/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 54 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2037 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 594 / 97-98 दिनांक: 23.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, झाँसी।
- श्रीमती सोमा वल्ली राजन पत्नी स्व० ओ० राजन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ओतायोध, ग्रा०-फुन्नुगल, पो०-कक्करील कालीकट, केरल।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



संख्या: 2040/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5250/13-14

दिनांक: 23.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

झाँसी।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मीरा पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मीरा पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी0पी0ओ संख्या एवं दिनांक	:	4985 दिनांक 27.11.2013
(ग) जन्मतिथि	:	31.12.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीरा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.01.1958
- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| (क) मृत्यु तिथि | : | 31.12.2012/31.12.2017 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेड पे 8900/- |
| (घ) वेतन | : | 53890 + 8900 = 62790/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 31395/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 31395/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 31395/- दिनांक 30.12.2019 तक |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 18837/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	166100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	83050/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कग होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	83050/- दिनांक 31.12.2017 तक
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	83050/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	83050/- दिनांक 30.12.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	49830/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2040/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5250/13-14 दिनांक: 23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, परीक्षा, झाँसी।
- श्रीमती मीरा पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-125/57 ए, ब्लाक डी, गोविन्द नगर, कानपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

शक्ति भवन



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2043/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5169/13-14

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
शाहजहाँपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री खलील अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री खलील अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 4895 दिनांक 06.06.2013
(ग) जन्मतिथि : 04.04.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती मुमताजुन निशा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 02.06.1966
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.04.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन : 26780 + 6600 = 33380/-
(ङ) मूल पेंशन : 16690/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6316/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10374/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10014/-
(ण) पेंशन योग्य अहंकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पेमेंटिक्स : 09
(ख) निर्धारित वेतन : 87700/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 43850/-
(ख) पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 6316/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 37534/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2043/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5169/13-14 दिनांक: 23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शाहजहाँपुर।
3. श्री खलील अहमद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मो०-बाड़ू जई-प्रथम, निकट कोडी नत्थु खॉ. शाहजहाँपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2045 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2829 / 06-07

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलरामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ संख्या एवं दिनांक	:	3050 दिनांक 14.11.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इन्द्रमती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि | : | 31.06.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 18650 /- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 8478 /- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2232 /- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6246 /- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5595 /- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 60 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000 /-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	61364 /-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2232 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63318 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2045 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2829 / 06-07 दिनांक: 23.02.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर।
- श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-स्टीम पावर हाउस, बलरामपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2031/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4547/10-11

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलरामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4161 दिनांक 23.04.2010
(ग) जन्मतिथि	:	05.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सावित्री देवी पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	46310 + 8900 = 55210/-
(ङ) मूल पेंशन	:	27605/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6492/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	21113/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	16563/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6492/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65158/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2031/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4547/10-11 दिनांक: 23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, देब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर
- श्री धनश्याम पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा० व पो०-डुमरी, निवास जनपद-गोरखपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

रकुन



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2030/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2912/06-07

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राज कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राज कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3156 दिनांक 25.01.2007
(ग) जन्मतिथि	:	0707.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आशा सिन्हा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.10.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	47970 + 8900 = 56870/-
(ङ) मूल पेंशन	:	28435/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4199/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	24236/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	17061/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	147600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	73800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	73800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4199/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	69601/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	44280/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2030/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2912/06-07 दिनांक: 23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, पारीक्षा, झाँसी।
3. श्री राज कुमार सिन्हा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-73/19, टाइप-3, परिछा कालोनी, पारीछा, झाँसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

23/02/19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2050/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4923/12-13

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलरामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4639 दिनांक 22.05.2012
(ग) जन्मतिथि	:	11.05.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2011 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवा वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 20510 + 5400 ग्रे०पे० 25910/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 12955/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 5182/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7773/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 7773/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5182/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	28418/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2050/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4923/12-13 दिनांक: 23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत विरण खण्ड, बलरामपुर।
- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मो०-बलुहा, निकट गर्ल्स कालेज चौराहा, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2054/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/794/02-03

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झोंसी।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भागीरथ साहू, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भागीरथ साहू, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1060 दिनांक 06.03.2003
(ग) जन्मतिथि	:	01.09.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती फूलवती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.08.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7720/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2042/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5678/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	52 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	54797/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2042/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63508/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2054/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/794/02-03 दिनांक: 23.02.2019
प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी पारीछा तापीय परियोजना, पारीछा झोंसी।
3. श्री भागीरथ साहू, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एम०आई०जी०-13, सर्किट हाउस के सामने, छतरपुर, ग०प्र०।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2032/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2296/05-06

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जितेन्द्र बाबू सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जितेन्द्र बाबू सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2541 दिनांक 29.11.2005
(ग) जन्मतिथि	:	30.06.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुधा सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.10.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9805/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2910/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6895/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2910/-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

(च) पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65587/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2032/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2296/05-06 दिनांक: 23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
- श्री जितेन्द्र बाबू सक्सेना, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-23-24, निरूपति, विहार इज्जतनगर, बरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2033/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1715/04-05

दिनांक: 23.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम राज कुम्हार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम राज कुम्हार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2480 दिनांक 27.09.2005
(ग) जन्मतिथि	:	03.03.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शारदा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.03.2004
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : पंचम वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 8550-13500
 (घ) वेतन : 11025/-
 (ङ) मूल पेंशन : 5430/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2172/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3258/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3308/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 9
 (ख) निर्धारित वेतन : 67200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 33600/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 33600/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2172/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 31428/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 20160/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2033/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1715/04-05 दिनांक: 23.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. श्री राम राज कुम्हार, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ई०--(ए०-1)-177/178, ए०डी०ए०, कालोनी, नैनी, प्रयागराज।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, उ०प्र० रा० विद्युत उत्पादन निगम लि, ओबरा, सोनभद्र।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2034/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/623/97-98

दिनांक: 23.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री हरि भगवान शात्या, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री हरि भगवान शात्या, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिर्वर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	713 दिनांक 23.02.1998
(ग) जन्मतिथि	:	20.05.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रानी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.05.1947
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.05.1997
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : पंचम वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 5850-9400
 (घ) वेतन : 9400/-
 (ङ) मूल पेंशन : 4620/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 1848/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 2772/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 2820/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 6 बी
 (ख) निर्धारित वेतन : 57300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 28650/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 18400/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगन्ध होगी (राशिकरण से पूर्व) : 28650/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : पुर्नस्थापित
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये : 28650/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 17190/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2034/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/623/97-98 दिनांक: 23.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री हरि भगवान शात्या, से०नि० मुख्य सहायक, निवासी- 529 डी०/0523 डी०-11, केशव विहार, कल्याणपुर, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

रा. बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1911/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1583/03-04

दिनांक: 20.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कुसुम देवी पत्नी स्व० श्याम नारायण पाण्डेय, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कुसुम देवी पत्नी स्व० श्याम नारायण पाण्डेय, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1630 दिनांक 07.02.2004
(ग) जन्मतिथि	:	07.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1957
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) मृत्यु तिथि | : | 02.05.1999 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बेड(ग्रेड पे) | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन | : | 18200/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5460/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | लागू नहीं |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1814 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1911/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1583/03-04

दिनांक: 20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।

3. श्रीमती कुसुम देवी पत्नी स्व० श्याम नारायण पाण्डेय, अवर अभियन्ता, निवासी-दिलीप कुमार चतुर्वेदी, बड़ा-बाजार, पुलीस चौकी चौराहा मउरानीपुर आँसी।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)


मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1941/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/84/94-95

दिनांक: 20.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती मुनिया निगम स्व० शिव कुमार निगम, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती मुनिया निगम स्व० श्री शिव कुमार निगम, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	68 दिनांक 13.06.1994
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1936
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मुनिया निगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1955
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.1993/13.06.2017
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	चतुर्थ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(2600-4000)
(घ) वेतन	:	2900/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1806/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	535/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	1071/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	600/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

2. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	61500/-

3. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	30750/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	30750/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	30750/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	18450/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	6150/- दि०-01.01.2016 से 13.06.2017 तक

4. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1941/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/84/94-95 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, केसा हाउस, सिविल लाईन्स, कानपुर।
3. श्रीमती मुनिया निगम पत्नी स्व० शिव कुमार निगम, टी०-2 नीलम पैराडाइज, प्लॉट न०-178, जूही कला, कानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-


लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1940/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/947/02-03

दिनांक 20.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश कुमार जुनेजा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश कुमार जुनेजा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1038 दिनांक 07.01.2003
(ग) जन्मतिथि	:	08.01.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती स्वदेश जुनेजा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	14.12.1944

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9865/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2546/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7319/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2546/-

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1940/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/947/03-04 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।

3. श्री जगदीश कुमार जुनेजा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-म०न०-सी०-67, सेक्टर-09, न्यू विजयनगर, गाजियाबाद।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1883/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5120/13-14

दिनांक: 18.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सुल्तानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री तकी जाफर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री तकी जाफर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4867 दिनांक 08.05.2013
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शहनाज फातिमा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	27170 + 6600 = 33770/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16885/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6754/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10131/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10131/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6754/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1883/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4385/09-10 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सुल्तानपुर।
- श्री तकी जाफर, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-पूरे मेडई खौं, अमहट, पो०-दूबेपुर, सुल्तानपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1890/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2222/04-05

दिनांक: 20.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शाहबुद्दीन खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शाहबुद्दीन खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2430 दिनांक 11.08.2005
(ग) जन्मतिथि	:	06.04.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती जमीला खान
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.04.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : पंचम वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैस(ग्रैंड पे) : 16400 20000
 (घ) वेतन : 20000 + 10000 = 30000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 15000/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 4111/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन : 10889/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9000/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रशिक्षण लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० दिनांक द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:

(क) पैगैटिका	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागूप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4111/-
(च) राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65439/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (अयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्ररतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1890/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2222/04-05 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गाजियाबाद।
3. श्री शाहबुद्दीन खान, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी शाह विला, नियर आर०जी०विद्यालय, मुरादनगर, जिला०-गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विरर, लखनऊ।

पंजीकृत -
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छाया तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1884/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/109/2000-01

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार,

गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शशि अग्रवाल स्व० श्री ओम कुमार अग्रवाल, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शशि अग्रवाल स्व० श्री ओम कुमार अग्रवाल, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	174 दिनांक 02.08.2000
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शशि अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.09.1947
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	27.07.1995
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	चतुर्थ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	1850-2930
(घ) वेतन	:	2405/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	534/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं/-

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	06 बी०
(ख) निर्धारित वेतन	:	50900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	15270/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1884/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/109/2000-01
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 18.02.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्रीमती शशि अग्रवाल पत्नी स्व० श्री ओम कुमार अग्रवाल, निवासी- बी०-9, सेक्टर-122, नोएडा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 18/02/19

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ


पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1887 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6310 / 15-16

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मिर्जापुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० शम्भू नारायण तिवारी सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० शम्भू नारायण तिवारी सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5359 दिनांक 29.05.2015
(ग) जन्मतिथि	:	07.06.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शान्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.06.1946
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) मृत्यु तिथि | : | 30.06.2001 / 05.01.2007 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बेंड(ग्रेड पे) | : | 5300-9100 |
| (घ) वेतन | : | 9100/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2730/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | लागू नहीं/- |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	06 ए०
(ख) निर्धारित वेतन	:	55600/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	16680/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या:1887 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6310 / 15-16

दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर।
- श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० शम्भू नारायण तिवारी से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-पुरानी अंजही, मिर्जापुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ


दिनांक: 18.02.2019

शक्ति भवन विस्तार

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1923 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2578 / 06-07

दिनांक: 20.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम वृक्ष राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम वृक्ष राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2810 दिनांक 14.06.2006
(ग) जन्मतिथि	:	18.09.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गुलाबी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	8550-13500
(घ) वेतन	:	11300+5650 = 16950
(ङ) मूल पेंशन	:	8475/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3390/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5085/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5085/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	69200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	34600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	34600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3390/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	31210/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	20760/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1923 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2578 / 06-07 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्री राम वृक्ष राम, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम०-ताशपुर, पो०-सदलपुरा, जनपद-वाराणसी
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1922/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4144/07-08

दिनांक: 20.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री वीरेन्द्र सिंह मलिक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री वीरेन्द्र सिंह मलिक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3486 दिनांक 20.02.2008
(ग) जन्मतिथि	:	02.08.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उषा मलिक
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	8.07.1951

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000+10000=30000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15000/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4195/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10805/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	13 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4195/-

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1922/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4144/07-08 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, गाजियाबाद।
- श्री वीरेन्द्र सिंह मलिक, सं०नि० अवर अभियन्ता, पता-एस०ए० 29, शास्त्रीनगर गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1924 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5158 / 13-14

दिनांक: 20.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मुबीनुल हक मलिक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मुबीनुल हक मलिक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 4894 दिनांक 04.06.2013
(ग) जन्मतिथि : 28.09.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती रूकसाना बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 01.04.1957
- (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.09.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 9300-34800ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन : 27170+6600 = 37770/-
(ङ) मूल पेंशन : 16885/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6754/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10131/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10131/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिश्रेतीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पैमेटिक्स : 09
(ख) निर्धारित वेतन : 87700/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 6754/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 37096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 43850/- दिनांक 27.09.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आणगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1924 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5158 / 13-14 दिनांक: 20.21.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
- श्री श्री मुबीनुल हक मलिक से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मो०-अटरिया, सी०बी० गंज, बरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1985/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5128/13-14

दिनांक: 21.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री उमर फारुक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री उमर फारुक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4855 दिनांक 25.04.2013
(ग) जन्मतिथि	:	01.10.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अंजुम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.09.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 10650-15200 |
| (घ) वेतन | : | 13575 + 6788 = 20363/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 9556/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 3822/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 5734/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6109/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 63 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	83300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	39757/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	39757/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3822/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	35935/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1985/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5128/13-14 दिनांक: 21.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रामपुर।
- श्री उमर फारुक, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सराय हुसेनी बेगम, निकट-गला काटी मस्जिद, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1984 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6880 / 17-18

दिनांक: 21.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5943 दिनांक 18.11.2017
(ग) जन्मतिथि	:	03.09.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कान्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.09.2015 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवा वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 28940 + 6600 = 35540 /- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17770 /- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7108 /- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10662 /- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17770 /- दिनांक 02.09.2022 तक |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10662 /- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंमैटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000 /-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7108 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39392 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500 /- दिनांक 02.09.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1984 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6880 / 17-18 दिनांक: 21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
- श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-शीतलपुर, पो०-मदही, तहसील-कुण्डा, प्रतापगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

21/02/2019